नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु

कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक, सम्भल

पत्रांक : विज्ञप्ति / /2017–18 दिनांक 28 अगस्त 2017

अपर मुख्य सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के शासनादेश संख्या–1218/पन्द्रह–2–17–1072/2017 शिक्षा अनुभाग–2 दिनांक 21.8.2017 के क्रम में जनपद सम्भल में संचालित राजकीय इण्टर कालेज/राजकीय हाईस्कूल में सहायक अध्यापक (एल0टी0) के रिक्त पदो के सापेक्ष बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन कार्यरत शिक्षकों में से अहर्ताधारी शिक्षकों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर तथा राजकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में से सेवानिवृत्त सहायक अध्यापकों/प्रवक्ताओं की मानदेय पर इच्छुक अभ्यर्थियों से दिनांक 06.09.2017 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है।

प्रतिनियुक्ति हेतु अर्हता–

1. बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन विशिष्ट बी0टी0सी0 के माध्यम से चयनित एवं कार्यरत शिक्षक/शिक्षिका की शैक्षिक अर्हता, राजकीय माध्यमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक पद की शैक्षिक अर्हता के समान हो।
2. बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन विशिष्ट बी0टी0सी0 के माध्यम से चयनित एवं कार्यरत शिक्षक/शिक्षिका के अतिरिक्त समान अर्हता रखने वाले कार्यरत शिक्षक भी प्रतिनियुक्ति हेतु आवदेन कर सकते है।
3. इच्छुक एवं अर्ह अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अग्रसारित होना अनिवार्य है। आवेदन पत्र पंजीकृत डाक अथवा कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक सम्भल में सीधे दिनांक 06.09.17 की सायं 5:00 बजे तक प्राप्त किये जायेंगे। निर्धारित तिथि के पश्चात् कोई भी आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा। प्राप्त आवेदन पत्रों में अर्ह अभ्यर्थियों का साक्षात्कार दिनांक 12.09.2017 को प्रातः 10:00 बजे कलैक्ट्रेट सभागार बहजोई जनपद सम्भल में किया जायेगा। चयन प्रक्रिया शैक्षिक गुणांक/साक्षात्कार प्रदत्त अंको के आधार पर सम्पादित की जायेगी। जनपद के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में सृजित पदो के सापेक्ष रिक्त पदों का विद्यालयवार/विषयवार विवरण निम्नवत् है–

क्रम सं0	विद्यालय का नाम	रिक्त पदों का विवरण						
		हिन्दी	अंग्रेजी	विज्ञान/गणित	सा0 विज्ञान	कला	गृह विज्ञान	जीव विज्ञान
1	रा0क0इ0का0 सम्भल	—	1	—	1	1	—	—
2	रा0क0इ0का0 सिरसी	1	—	—	—	1	1	1
3	रा0इ0का0 लहरावन	1	—	—	—	—	—	1
4	रा0उ0मा0वि0 मदाला फतेहपुर	1	1	1	—	1	1	—
5	रा0उ0मा0वि0 हरथला	—	1	1	—	—	1	1

नोट– राजकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों से सेवानिवृत्त स0अ0/प्रवक्ता भी अपने विषय के अनुसार आवेदन कर सकते है। चयन साक्षात्कार के आधार पर प्रथम वरीयता के आधार पर बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत अध्यापकों का चयन किया जायेगा, तत्पश्चात पद रिक्त रहने की दशा में सेवानिवृत्त राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त सेवानिवृत्त अध्यापकों में से चयन किया जायेगा।

प्रतिनियुक्ति/मानदेय की शर्तें–

1. प्रतिनियुक्ति पर लिये जाने वाले सहायक अध्यापकों की प्रतिनियुक्ति अवधि दिनांक 31.03.2019 अथवा रिक्त पद के सापेक्ष नियमित नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो तक ही होगी।

2. सेवानिवृत्त शिक्षक/शिक्षिका की सेवा अवधि दिनांक 31.03.2018 तक अथवा रिक्त पद के सापेक्ष नियमित नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो तक ही होगी।

2. सेवानिवृत्त शिक्षकों की अधिकतम आयु 65 वर्ष होगी तथा उन्हें स्वस्थता प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।

3. सेवानिवृत्त शिक्षकों को मानदेय के रूप में वह नियत धनराशि अनुमन्य होगी, जो सम्बन्धित शिक्षक के अन्तिम आहरित वेतन में से शुद्ध पेंशन की धनराशि (राशिकरण के पूर्व, यदि कोई हो) घटाने के फलस्वरूप आये।

4. प्रतिनियुक्ति तथा सेवानिवृत्त शिक्षकों की नियुक्ति नितांत अस्थायी प्रकृति की होगी तथा किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकेगी।

5. प्रतिनियुक्ति/सेवानिवृत्त पर चयनित शिक्षकों की नियुक्ति प्रथम चरण में मा0 शिक्षा विभाग के राजकीय शिक्षक/शिक्षिका के लिए स्थानान्तरण/समायोजन नीति 2017 सम्बन्धित शासनादेश दिनांक 29.06.2017 में निहित प्राविधानानुसार विद्यालयों में रिक्त पद के प्रति की जायेगी।

6. प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्त होने के पश्चात् सम्बन्धित शिक्षकों को मूल विभाग में वापस कर दिया जायेगा तथा उनकी तैनाती के सम्बन्ध में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा अपने स्तर से निर्णय लिया जायेगा।

7. प्रतिनियुक्ति पर आये अध्यापकों को उनके द्वारा प्राप्त समान वेतन दिया जायेगा।

प्रतिनियुक्ति पर आये शिक्षकों को प्रतिनियुक्ति भत्ता देय नहीं होगा।

प्रतिनियुक्ति पर तैनात किये जाने वाले कर्मियों द्वारा भविष्य में संविलियन की मांग नहीं की जायेगी। इस आशय का शपथ–पत्र प्रतिनियुक्ति पर तैनात किये जाने से पूर्व सम्बन्धित कार्मिक के द्वारा उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

10 परिषदीय विद्यालय में मौलिक रूप से कार्यरत ऐसे अध्यापकों को इस शर्त के साथ प्रतिनियुक्ति दी जायेगी कि परिषदीय अध्यापक का धारणाधिकार प्रतिनियुक्ति से वापस जाने पर अपने मौलिक रूप से नियुक्त तैनाती के जनपद एवं उनके मूल पद के सापेक्ष रहेगा।

<u>प्रतिनियुक्ति/मानदेय के आधार पर शिक्षकों की तैनाती के आवेदन पत्र का प्रारूप</u>

स्व प्रमाणित नवीनत् रंगीन फोटो

1. आवेदित विद्यालय का नाम 1...
   2. ....
   3. ....
2. आवेदित पद का नाम (विषय सहित)...
3. अभ्यर्थी का नाम...
3. पिता/पति का नाम...
4. जन्म तिथि .... आयु वर्ष में...
5. कार्यरत विद्यालय/सेवानिवृत्त होने वाले विद्यालय का नाम...
6. नियुक्ति तिथि............................ सेवानिवृत्ति तिथि...
7. स्थायी पता...
8. पत्र व्यवहार का पता...
9 दूरभाष............................ ई–मेल आई.डी...
10 शैक्षिक योग्यता का विवरण –

परीक्षा का नाम	वर्ष	समस्त विषय	बोर्ड/संस्था	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत
हाईस्कूल						
इण्टरमीडिएट						
स्नातक						
परास्नातक						
बी.एड.						
अन्य						

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई समस्त उपरोक्त सूचनाऐं सही है, मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। यदि मेरे द्वारा दी गयी सूचनाऐं गलत पायी जाती है, तो मेरा चयन/अभ्यर्थन रद्द कर दिया जाये, इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर............................
अभ्यर्थी का पूरा पता............................

(विनोद कुमार)
जिला विद्यालय निरीक्षक
सम्भल।

पृ0सं0 : विज्ञप्ति/ 2561-69 /2017–18 दिनांक तदैव

प्रतिलिपि – निम्नांकित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय सम्भल।
2. मुख्य विकास अधिकारी, सम्भल।
3. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सम्भल
4. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, सम्भल को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञाप्ति जनपद की वेबसाईट

पर अपलोड करने का कष्ट करें।

5. कार्यालय जिलाधिकारी / मुख्य विकास अधिकारी / अपर जिलाधिकारी / जिला सूचना अधिकारी / कोषागार / नगर पालिका / जिला विद्यालय निरीक्षक / जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सम्भल के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
6. उपजिलाधिकारी सम्भल / चन्दौसी / गुन्नौर को नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
7. खण्ड विकास अधिकारी, सम्भल / बनियाखेड़ा / रजपुरा / गुन्नौर / पवांसा / जुनावई / बहजोई को नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
8. खण्ड शिक्षा अधिकारी सम्भल / बनियाखेड़ा / रजपुरा / गुन्नौर / पवांसा / जुनावई / बहजोई को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति का व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु।
9. समस्त प्रधानाध्यापक / प्रधानाचार्य, उ0मा0वि0 / इण्टर कालेज जनपद सम्भल को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति का व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु।

10 अध्यक्ष / महामंत्री राजकीय / माध्यमिक / जूनियर / प्राथमिक शिक्षक संघ जनपद सम्भल को इस आशय से प्रेषित कि अपने स्तर से विज्ञप्ति का सम्यक प्रचार-प्रसार हेतु।

11 सम्पादक, अमर उजाला, दैनिक जागरण एवं हिन्दुस्तान को इस आशय से कि उक्त विज्ञाप्ति को जनहित में निःशुल्क प्रकाशित करने कष्ट करें।

20/01/17

जिला विद्यालय निरीक्षक
सम्भल।